



सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े

मीना मंच



मीना कैबिनेट

मीना मंच गठन एवं कार्यवाही पंजिका

शैक्षिक सत्र - 2020 - 2020

SONI@9236816485

विद्यालय का नाम.....

ग्राम पंचायत न्याय पंचायत

विकास खण्ड जनपद



मीना मंच



राज परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ के पत्रांक मीन मंच/बा0शि0/2999/2016-17 दिनांक 26 सितम्बर 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन में 6-14 वय वर्ग की समस्त बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने, उनकी निरंतरता बनाये रखने, शत प्रतिशत ट्रांजिशन बालिकाओं की सुरक्षा, जीवन कौशल का विकास, सशक्तिकरण एवं सम्पूर्ण विकास के लिए मीना मंच का गठन किया जाना है।

मीना मंच का उद्देश्य

1. समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।
2. बालिकाओं को अभिव्यक्ति हेतु एक मंच प्रदान करना।
3. बालिकाओं में नेतृत्व कौशल तथा सहयोग की भावना विकसित करना।
4. किशोरावस्था सम्बन्धी जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति एवं समाधान।
5. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता की जानकारी तथा गांव में तत्सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन।
6. बालिकाओं के हितों के प्रतिकूल प्रचलित कुरीतियों (भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा) का निवारण।
7. बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान करना।
8. गुड टच और बैड टच की पहचान कराना।
9. बाल श्रम निरोध एवं पास्को एक्ट परिचित कराना।
10. प्रमुख हेल्पलाइन नम्बर से परिचित कराना।

मंच के गठन की प्रक्रिया

1. मंच का गठन पारदर्शी तरीके से हो जिसमें विद्यालय की सभी बालिकाएं प्रतिभाग करें।
2. 11-18 वय वर्ग की ऐसी सभी बालिकाएं मीना मंच की सदस्य होंगी जो स्कूल जाती है/कक्षा 5 पास कर चुकी है। अथवा विद्यालय नहीं जाती हैं। मीना मंच के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य बालक होंगे अर्थात् 6 बालक एवं 14 बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रारम्भ में मंच में 20 बच्चों को फाउण्डर मेम्बर के रूप में चयनित किया जायेगा।
4. मंच के सभी सदस्यों में से पांच बच्चों की कार्यकारणी समिति गठित की जायेगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। कार्यकारणी समिति का चुनाव मीना मंच की खुली बैठक में किया जायेगा।
5. कार्यकारणी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।
6. एक सक्रिय बालिका को मीना प्रेरक पावर एन्जिल के रूप में चयनित किया जायेगा। मीना प्रेरक एकसी बालिका होगी जो सक्रिय हो तथा अभिव्यक्ति की क्षमता रखती हो।
7. पावर एन्जिल की यह भूमिका होगी कि वे कक्षा के प्रत्येक छात्रा से निरन्तर सम्पर्क रखेगी और अपने सहपाठियों को उचित व्यवहार तथा कक्षा में व कक्षा से बाहर किसी प्रकार के दुराचार एवं दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए परामर्श देगी। किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना यह सूचना पावर एन्जिल को दी जायेगी पावर एन्जिल द्वारा यथा परामर्श सम्बन्धित छात्रा को देते हुए इसकी जानकारी तुरन्त सुगमकर्ता टीचर को दी जायेगी। ऐसी पावर एन्जिलों को समय-समय पर विद्यालय के सुगमकर्ता/जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा पृथक से मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
8. विद्यालय में एक मीना कक्ष विकसित किया जायेगा जहां मंच की बालिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी।

SON7@9236816485

मीना मंच के कार्य

प्रत्येक शनिवार की अपराहन मीनासभा आयोजित की जाये जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक नुक्कड़, नाटक, गीत, कहानी, स्लोगन लेखन आदि के माध्यम से विचार-विर्मश किया जाये—

- बालिकाओं की शिक्षा का महत्व एवं बीच में उनकी शिक्षा में अरोध के सम्बन्ध में।
- समाज में फैली कुरीतियाँ हैं जैसे— बालिकाओं के जन्म पर खुशी न मनाना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू कार्यों को बालिका ही कर सकती है, कुपोषण, भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी, लिंग भेद आदि।
- स्वच्छता और विभिन्न बीमारियों की जानकारी सम्बन्धी गतिविधियों का विद्यालय में आयोजन।
- किशोरावस्था सम्बन्धी जिज्ञासाओं पर सवाल— जवाब।
- बाल अखबार, मासिक या वार्षिक विद्यालय पत्रिका का निर्माण।
- विद्यालय शिकायत पेटिका का निर्माण एवं उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना।
- कक्षा 5 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए काउंसिलिंग करना।
- बाल मेले का आयोजन।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित हेल्प लाइन नम्बर व इसके प्रयोग की जानकारी देना व समय-समय पर पुलिस विभाग के अधिकारी से बच्चों का इन्टैक्शन करवाना।
- सरकार द्वारा बालिका सुरक्षा एवं शिक्षा हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना।
- खेल—कूद, व्यायाम, योग एवं स्काउट गाइड सम्बन्धी गतिविधियों आयोजित करना।
- प्राकृतिक आपदा से बचाव कैसे किया जाय ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मॉकडिल करना।
- उन घरों को भ्रमण करना जिनके घरों की बालिकाएं नामांकित नहीं हैं। माता—पिता से बात—चीत कर ऐसी बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना इसके लिए भ्रमण से पहले तैयारी करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक माह बैठक कर उपस्थिति पंजिका से विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं की सूची बनाना एवं उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना।
- माहवारी प्रबन्धन जैसे— सेनेटरी, नैपकिन रखने के लिए ढक्कनदार डिब्बा तथा शौचालय के साथ इंसीटनेटर की व्यवस्था पर चर्चा करना।
- विद्यालय व समुदाय के लिए बालिकाओं द्वारा समूहों में अपनी कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुति करण किया जाये।

मीना पंचायत

- वर्ष में दो बार सितम्बर और जनवरी में मीना पंचायत होगी जिसमें मीना मंच के समस्त बच्चे प्रतिभाग करेंगे। जिसको कार्यवृत्त रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

मीना पंचायत

- प्रत्येक वर्ष 24 सितम्बर को मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इस दिवस पर मीना मंच की बालिकाओं द्वारा विद्यालयों में मीना दिवस को उत्सव के रूप में मनाये।
- मीना मंच में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाये।

SON7@9236816485

मीना मंच / मीना केबिनेट गठन 20.....20.....

विद्यालय का नाम.....

विकास खण्ड.....न्याय पंचायत.....जनपद.....

क्र.सं.	मीना मंच / केबिनेट सदस्य का नाम	कक्षा	जाति	पद	मोबाइल नम्बर
1.				अध्यक्ष	
2.				सचिव	
3.				कोषाध्यक्ष	
4.				उपाध्यक्ष	
5.				सक्रिय सदस्य	
6.				सदस्य	
7.				सदस्य	
8.				सदस्य	
9.				सदस्य	
10.				सदस्य	
11.				सदस्य	
12.				सदस्य	
13.				सदस्य	
14.				सदस्य	
15.				सदस्य	
16.				सदस्य	
17.				सदस्य	
18.				सदस्य	
19.				सदस्य	
20.				सदस्य	

8546816892@923681685

हस्ताक्षर मीना सुगमकर्ता

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका

बैठक कार्यवाही

दिनांक.....दिवस.....शैक्षिक सत्र.....

प्रतिभागी— 1. कक्षा.....बालक.....बालिका.....योग.....

2. कक्षा.....बालक.....बालिका.....योग.....

3. कक्षा.....बालक.....बालिका.....योग.....

चर्चा की मुख्य बातें—

उपाध्यक्ष

सुगमकर्ता का अनुभव

बच्चों की फीड बैक (बच्चों द्वारा लिखा जाये)

चर्चा के बाद यदि कोई विशेष बदलाव हुआ हो

हस्ताक्षर प्रतिभागी / सुगमकर्ता :-

SONI@9236816485